रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 8 जुलाई, 2005/17 आषाढ़, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जुलाई, 2005

संख्या एल० एल० आर०-डी०(6)-21/2005-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 6-7-2005 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का अध्यादेश संख्यांक 7)

को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

2005 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2005

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का 18) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;

और अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश प्राप्त कर लिए हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं ।

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2005 है ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2-क) उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन सह-भागीदारों को प्रतिवर्तित भूमि का अन्तरण ऐसे सह-भागीदारों द्वारा, ऐसी भूमि के नामान्तरण (इन्तकाल) की तारीख से पच्चीस वर्षों की अवधि के दौरान विक्रय के रूप में, दान के रूप में, बन्धक के रूप में या अन्यथा नहीं किया जाएगा ।

(2-ख) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त कोई भी रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऐसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज को, जो उप-धारा (2-क) के उल्लंघन में है, रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा । और ऐसा अन्तरण प्रारम्भ से ही शून्य होगा तथा ऐसे अन्तरण, यदि इसे उप-धारा (2-क) के उल्लंघन में किया गया है, में अन्तर्वलित भूमि समस्त बिल्लगमों से मुक्त राज्य सरकार में निहित होगी ।"।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

शिमला :
तारीख ..... ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 7 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH VILLAGE COMMON LANDS VESTING AND UTILIZATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2005

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth year of the Republic of India.

AN

ORDINANCE

further to amend the Himachal Prahesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (*Act No.* 18 *of* 1974).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

AND WHEREAS instructions of the President of India to promulgate the Ordinance have been obtained.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title.

1. This Ordindnce may be called the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization (Amendment) Ordinance, 2005.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, after sub-section (2), the following new sub-sections shall be added, namely :— 19 of 1974

"(2-*a*). The land reverted back to co-sharers under clause (*d*) of sub-section (2) shall not be transferred by such co-sharers, by way of sale, gift, mortgage or otherwise, during a period of twenty five years from the date of mutation of such land.

(2-*b*). No Registrar or the Sub-Registrar, appointed under the Registration Act, 1908. shall register any document pertaining to transfer of such land, which is in contravention of sub-section (2-*a*) and such transfer shall be void *abinitio* and the land involved in such transfer, if made in contravention of sub-section (2-*a*), shall vest in the State Government free from all encumbrances.". 16 of 1908

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित